2.11.2022 पत्रावली पेश हुई।

तहसीलदार सिणधरी से मौका रिपोर्ट जरिये पत्रांक क्रमांक 480 दिनांक 02.11.2022 के प्राप्त हुई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने आवेदन के तथ्यों का दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित खेत खसरा नम्बर 622/2 मौजा सड़ा धनजी में चल रहे कदीमी रास्ते की पुनः भौतिक जांच एवं उपस्थित पक्षकारान के रूबरू मौजा जांच अनुसार उक्त खेत मे से होकर चालू बारहमासी रास्ता सिणधरी–भेडाणा सड़क से सड़ा धनजी स्कूल के पास स्थित आबादी भूमि ख.नं. 603/1 तक कदीमी रास्ते के रूप में कई वर्षो से मौके पर चल रहा है। जिसे सलंग्न नक्शे में ABC दर्शाया गया है जिसमें बिन्दु सं. A से B तक मौके पर डामर सड़क बनी हुई है जिसकी चौड़ाई 8 मीटर (नक्शे में दर्शाये अनुसार) व लम्बाई 140 मीटर है। इससे आगे बिन्दु सं. C से D तक मौके पर आम रास्ता जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है जबकि नक्शे में 8 मीटर दर्ज है। इस आम रास्ते की लम्बाई 80 मीटर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

189/2024

इससे आगे बिन्दु सं. D से E तक मौके पर आम रास्ता नहीं है। सलंग्न नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मौके पर चल रहे कदीमी रास्ता का रकबा 0.1440 हैक्टयर है जबकि राजस्व रेकर्ड में दर्ज इस कदीमी रास्ता खसरा नम्बर 757/622 का रकबा 0.2800 हैक्टयर है। सलंग्न नक्शें में लाल स्याही से दर्शित कदीमी रास्ता की भूमि रकबा 0.1440 हैक्टयर को छोड़कर शेष रंगविहीन दर्शित रास्ते की भूमि बिन्दु सं. CDE को निरस्त किया जाकर तद्नुसार संशोधित आदेश पुनः पारित किया जावे।

प्रार्थी के पैरोकार की बहस के समर्थन में विप्रार्थीगण द्वारा अपनी ओर से लिखित अभिकथनों के स्वीकार किया कि विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 757/622 रकबा 0.1440 हेक्टयर ग्राम सड़ा धनजी में विद्यमान बारहमासी रास्ता जिसके मौके पर डामर सड़क निर्मित है के अलावा शेष रास्ते के रूप से छोड़ी गई भूमि को निरस्त करते हुए हम पक्षकारान के खाते में पुनः दर्ज करते हुए तद्नुसार प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित आदेश जारी किया जावे।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा पुनः प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 02.11.2022 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया गया कि विवादित भूमि के संबंध में संबंधित पक्षकारान के रूबरू मौका स्थिति की पुनः जांच अनुसार विवादित भूमि में चल रहे बारहमासी आम रास्ते एवं डामर सड़क को विद्यमान रखते हुए तथा उससे आगे सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार रंगविहीन दर्शित रास्ते की भूमि बिन्दु सं. CDE को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:22 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार [illegible] जाकर विवादित खेत खसरा नम्बर 622/2 मौजा सड़ा धनजी में चल रहे कदीमी रास्ते के रूप में अंकित नये खसरा नम्बर 757/622 के भू–भाग के संबंध में सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार रंगविहीन बिन्दु सं. CDE को निरस्त करते हुए कुल क्षेत्रफल 0.2800 हैक्टयर के स्थान पर रकबा 0.1440 हैक्ट (सलंग्न नक्शें में लाल स्याही से दर्शित कदीमी रास्ता की भूमि) को दुरूस्त करते हुए तद्नुसार संशोधित प्रविष्टि के रूप में राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के रंगविहीन दर्शित रास्ते की भूमि कम करते हुए पुनः पक्षकारान के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सिणधरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 480 दिनांक 02.11.2022 के सलंग्न प्राप्त नजरी नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2022.12.31 17:20:22 IST
Reason: SelfAttested